भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **747** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 29 नवंबर, 2024/8 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है

व्यापारी जहाजों के आयात पर निर्भरता

† 747. श्री विष्णु दत्त शर्मा :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि भारत वाणिज्यिक या व्यापारिक जहाजों और कंटेनरों के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस मुद्दे के समाधान तथा जहाज निर्माण एवं कंटेनर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार के पास शिपिंग और कंटेनर क्षेत्र के लिए पीएलआई शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। इसके कारकों में विदेशी शिपयार्डों, विशेष रूप से ईस्ट एशिया द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिस्पर्धी मूल्य, में उच्च उत्पादन क्षमता तथा इन यार्डों की दक्षता शामिल है।

(ग) से (च): सरकार ने पोत निर्माण के कई उपाय शुरू किए हैं;

(i) पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति

(ii) पोत निर्माण के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल का कार्यान्वयन।

(iii) भारत सरकार के दिनांक 13 अप्रैल, 2016 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 112 के तहत शिपयार्डों को अवसंरचनात्मक स्थिति प्रदान की गई है। यह भारतीय शिपयार्डों को पूंजी के किफायती दीर्घकालिक स्रोत उपलब्ध कराने तथा उनकी लागत हानि को कम करने और क्षमता संवर्धन में निवेश करने में सक्षम बनाएगा ताकि भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिले।

(iv) सरकार ने भारतीय शिपयार्डों में निर्मित किए जाने वाले टगों की खरीद के लिए महापत्तनों द्वारा उपयोग हेतु नवंबर, 2021 में पांच भिन्न के अनुमोदित मानक टग डिजाइन विनिर्दिष्ट जारी किए है।

इसके अलावा, घरेलू पोत परिवहन क्षेत्र के लिए यहां निम्नलिखित नीतियां हैं:

(v) प्रथम अस्वीकरण अधिकार (आरओएफआर): यह विदेशी ध्वज वाले जलयानों द्वारा दी गई न्यूनतम बोली के बराबर लाने के लिए भारतीय ध्वज वाले जलयानों को प्राथमिकता प्रदान करता है जिससे कि भारतीय ध्वज वाले जलयानों की मांग में बढ़ोतरी हो।

(vi) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना: जब कोई सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) फ्री ऑन बोर्ड/ फ्री अलॉग साइड शिप (एफओबी/ एफएएस) की शर्तों के अलावा अपना कार्गो आयात करता है तो इस व्यापार में भाग लेने के लिए भारतीय पोत परिवहन को अवसर प्राप्त होता है।

(vii) भारत में वाणिज्य पोतों की फ्लैगिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना: मंत्रालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसईएस) द्वारा जारी किए गए वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी समर्थन प्रदान किया जाता है। सब्सिडी समर्थन की दर जलयान की आयु पर आधारित होता है। यह योजना, भारतीय ध्वज के तहत पोतों को पंजीकृत करने के लिए उद्यमों को बढ़ावा देता है।

*****